GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1524
TO BE ANSWERED ON 28.07.2021

Non Coking Coal

1524. MS. DIYA KUMARI:

Will the Minister of Coal be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the country's annual compound growth in consumption and dependence on non-coking coal, especially in Rajasthan;

(b) if so, whether the Government proposes to introduce schemes to reduce its consumption; and

(c) if not, the reasons thereof?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES

(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a): The Annual compound growth rate of coal consumption in the country from 2018-19 to 2020-21 has been -2.9% and annual compound growth rate of coal supply by CIL to State of Rajasthan during the same period is -0.78 %.

(b) & (c): The Government has introduced schemes for granting coal linkages to consumers of power and Non-Power sector. The policy for granting coal linkage to power sector is under the Scheme of Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India (SHAKTI), 2017, dated 22.05.2017 and subsequently amended on 25.03.2019 and the policy for linkages for Non-Power sector was issued on15.02.2016. The policies enable consumers of different sectors to avail coal from the coal companies through long term Fuel Supply Agreements.

****

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1524

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

गैर-कोकिंग कोल

1524. सुश्री दिया कुमारी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश की खपत में वार्षिक चक्रवृद्धि और विशेष रूप से राजस्थान में गैर-कोकिंग कोयले पर निर्भरता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी खपत को कम करने के लिए योजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : देश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक कोयला खपत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर -2.9% रही है तथा उसी अवधि में राजस्थान राज्य को सीआईएल द्वारा की गई कोयले की आपूर्ति का वार्षिक चक्रवृद्धि दर -0.78% है।

(ख) और (ग) : सरकार ने विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज प्रदान करने हेतु स्कीम लागू की है। विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज प्रदान करने हेतु नीति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला प्राप्त करने और आवंटन हेतु स्कीम (शक्ति), 2017, दिनांक 22.05.2017 और तत्पश्चात 25.03.2019 को संशोधित स्कीम के अंतर्गत है तथा गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए लिंकेज की नीति 15.02.2016 को जारी की गई थी। इन नीतियों से विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ता दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति करार के माध्यम से कोयला कंपनियों से कोयला प्राप्त कर सकेंगे।

*****